

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 6194 / 22 / वि-12 / FA / 2020

भोपाल, दिनांक 01 / 6 / 2020


स्थायी आदेश क्रमांक-13 (अ) (संशोधन)

—00—

स्थायी आदेश क्रमांक-13 जो मुख्यालय के पत्र क्रमांक 5812/22/वि-12/FA/2020 भोपाल दिनांक 22.05.2020 से जारी किया गया था के, स.क्र.-7 एवं 8 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. स.क्र.-7 Section-4 Part-I GCC Clause-27 - 6 माह से अधिक समयवृद्धि देने के अधिकार के सम्मुख कॉलम-5 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक पढ़ा जाये।
2. स.क्र.-8 के कॉलम-4 में बिन्दु क्रमांक-C के नीचे वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :- "C से संबंधित दरें मुख्यालय की तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार निर्धारित की जावेगी।"

शेष आदेश यथावत रहेगा तथा यह संशोधन मूल आदेश जारी किये जाने की दिनांक से प्रभावशील माना जावेगा।


(शशांक मिश्रा)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 01 / 6 / 2020

पृ.क्र. 6195 / 22 / वि-12 / FA / 2020
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय एवं जबलपुर, रीवा, इन्दौर, ग्वालियर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (मुख्यालय एवं पी.आई.यू) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल